फर्द अहकाम

चौधुरी बनाम कैलाशचन्द्र

य ACEM(FT) शाहपुरा

17/10 मुव-धा 141/16

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/11/17	आज फर पत्रावली एतत्संबंध अदालत में पेश नोटिसों में पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया धा-पत्र 08 R9 CPC व धारा 022 R4 व 9 CPC मुकदमा में निर्णय दिया गया है। मुकदमा इकतरफा व एकपक्षीय का है। इसमें विपक्षी सबूत साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। अतः पत्रावली मेजरी अन्तिम आदेश I उपरांत 17-8-10 को खारिज किया जाकर मुकदमे के निस्तारण हेतु पक्षों को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली कैलाश कुमार तोमर गवाह तैयार हो। मुकदमे के हमीला है।	

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान